न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 79 / 2025 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024 / 323
दायर दिनांक :– 09.04.2025 निर्णय दिनांक :– 18.06.2025

1. शिवकुमार पुत्र भगवानदास जाति विश्नोई निवासी लाली, फतेहाबाद (हरियाणा)

वादी..........

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राज.)

प्रतिवादी.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधिवक्ता वादी

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का इस आश्य से पेश किया कि वादी की खातेदारी अधिकरों की काश्त भूमि ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 1538 रकबा 31.0798 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1537 रकबा 1.4569 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि पर वादी का कब्जा व काश्त आज दिन तक शांतिपूर्वक लगातार चला आ रहा है। जमाबंदी सम्वत 2076–2079 संलग्न वाद पेश है। उक्त वादग्रस्त भूमि पूर्व में वादी के पिता भगवानदास पुत्र मनफूलसिंह के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। वादी के पिता भगवानदास पुत्र मनफूलसिंह जब फौत हुए तो मुतवफी भगवानदास का विरासत का नामान्तरकरण सं. 2924 मौजा कानासर स्वीकृत हुआ लेकिन पटवारी हल्का द्वारा उक्त नामान्तरकरण भरते समय वादी का अपनी मनमर्जी से शिव प्रकाश पुत्र भगवानदास दर्ज कर दिया जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम शिव कुमार पुत्र भगवानदास है। इसी नाम से ही वादी के पहचान संबंधित दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन आधार कार्ड आदि बने हुवे है तथा वादी को इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है वर्तमान राजस्व अभिलेख में वादी का नाम भंवरूराम पुत्र मालाराम दर्ज होने से वादी को के.सी.सी ऋण प्राप्त करने व अन्य कृषि संबंधित कार्य करने में भंयकर समस्याओं का सामना पड़ रहा है। वादी ने दिनांक 20.03.2025 को अपना नाम सही करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रतवादी के समक्ष प्रस्तुत किया तो प्रतिवादी ने वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त करने से मना कर दिया तथा समक्ष न्यायालय में चाराजोही करने को कहा, इसलिये वादी ग्राम कानासर के उपरोक्त वर्णित खसरान् में दर्ज अपने गलत नाम शिव प्रकाश पुत्र भगवानदास के स्थान पर अपने सही एवं वास्तविक नाम शिव कुमार पुत्र भगवानदास के नाम खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है।

18/6/25

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार बाप ने जवाब में कथन किया कि वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में शिवप्रकाश पुत्र भगवानदास दर्ज है जबकि वादी के पहचान संबंधित दस्तावेजात में शिव कुमार पुत्र भगवानदास के नाम से बने हुवे है। इसलिये वादी का नाम शिवप्रकाश पुत्र भगवानदास के स्थान पर शिव कुमार पुत्र भगवानदास साक्ष्य सुनवाई की जाकर दर्ज किया जाना उचित है। प्रतिवादी की और से वाद का विरोध नहीं होने से तनकियात कायम नहीं की गई। वाद के समर्थन में शिशपाल के बयान पी.डब्लू–1 कलमबद्व किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली बहस में रखी गयी।

अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन, चिन्तन एवं मनन करने पर पाया गया कि जमाबंदी सम्वत 2076–2079 ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 1538 रकबा 31.0798 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1537 रकबा 1.4569 हैक्टेयर स्थित है। वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में शिवप्रकाश पुत्र भगवानदास दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, जन आधार, पैन कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि से साबित है कि वादी का नाम शिव कुमार पुत्र भगवानदास है। वादी ने अपने वाद को साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेजात एवं साक्ष्य सबूत पेश किये है। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचनानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 1538 रकबा 31.0798 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1537 रकबा 1.4569 हैक्टेयर भूमि में वादी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम शिवप्रकाश पुत्र भगवानदास के स्थान पर शिव कुमार पुत्र भगवानदास के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे। डिक्री पर्चा अलग से मुर्तिब हो। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/6/25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. शिवकुमार पुत्र भगवानदास जाति विश्नोई निवासी लाली, फतेहाबाद (हरियाणा)

वादी..........

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राज.)

प्रतिवादी.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :– 79/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर राजेन्द्रसिंह सोलंकी मिनजानिब मुदई व पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 1538 रकबा 31.0798 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1537 रकबा 1.4569 हैक्टेयर भूमि में वादी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम शिवप्रकाश पुत्र भगवानदास के स्थान पर शिवकुमार पुत्र भगवानदास के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे। नीचे

मुतालिक खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर वसूल याबी तक	बाबत् फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18.06.2025 को जारी की गई।

A— 18/6/25

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)

सहायक कलक्टर

बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।